अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन दूसरी तरफ किसी आने वाले सब्जेक्ट को भी मैं ऐसे नहीं ले सकता । फिर यह तो आज ही आ रहा है ।

श्री मनी राम बागड़ी : फिर आप जीरो-आवर के बाद तो इजाजत दोगे या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज ही कर रहा हूं और इस के बाद उसी पर डिस्कशन हो रही है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज तो श्वेत-पत्र पर चर्चा होने वाली है, उसमें भाखड़ा नहर का मामला कैसे बीच में आ गया ।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब और हरियाणा का उस से ही तो सम्बन्ध है, वही तो दोनों राज्यों में है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस समय अगर उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए तो वह कहेंगे कि इस नहर का श्वेत-पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है, इस को आप बीच में कहां बहा रहे हैं ।

श्री मनी राम बागड़ी : वाजपेयी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप निश्चित रहिए उस समय मैं ही बैठा रहूंगा ।

स्वामी इन्द्रवेश जी ।
श्री जगपाल सिंह ।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अश्लील वीडियो कैसेट के दिखाने पर प्रतिबन्ध

+

*21. **श्री जगपाल सिंह :**
स्वामी इन्द्रवेश :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अश्लील वीडियो कैसेट को दिखाने पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस विधेयक को कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है ?

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT (a) No, Sir. Public exhibition of uncertified video cassettes, which includes obscene films, is already a cognizable offence under the Cinematograph Act, 1952. Moreover, even possession of obscene material is an offence under section 292 of Indian Penal Code. There is, therefore, no proposal to bring a Bill in Parliament to ban this.

(b) Does not arise.

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष जी, सब से पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ओरिजिनल प्रश्न को काट कर उस का स्वरूप ही बदल दिया गया है । मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार अश्लील वीडियो कैसेटों के बढ़ते हुए प्रचार एवं अवैध धन्धे पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही कर रही है । इस देश में जहां अवैध हथियारों के आने से देश की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा हो रहा है, वहीं अवैध अश्लील वीडियो कैसेट आने से भी खतरा पैदा हो रहा है । अध्यक्ष जी, जैसा आप जानते है और अखबारों में भी इस की चर्चा हुई है कि भिंडरांवाले के विदेशों में भरे हुए कैसेट इस

देश में भारी मात्रा में आ रहे हैं और बाजारों में बिक रहे हैं परन्तु हमारी सरकार आंख बंद किए हुए बैठी है और उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 1950 ऐक्ट, जिस का जिक्र मन्त्री जी ने किया, उस के माध्यम से आपने अब तक कितने अवैध वीडियो कैसेट विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की ?

दूसरे यह कि आप कुछ फिल्म स्टार्स की फिल्मों के वीडियो कैसेट्स भरने पर चिंतित हैं, पिछले दिनों अखबारों में आया कि श्री राजीव गांधी ने कहा कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों के कैसट्स नहीं भरे जायेंगे और जो ऐसा करेगा उस के खिलाफ कार्यवाही होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इसी तरह की कार्यवाही और अभिनेताओं की फिल्मों के वीडियो कैसेट्स बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की, मुकदमा चलाया ?

श्री एच. के. एल भगत : माननीय सदस्य ने वीडियो पाइरेसी के खिलाफ जो चिंता व्यक्त की है मैं उस से पूर्णतः सहमत हूं और सरकार खुद महसूस करती है कि इस से बहुत नुकसान हो रहा है और सरकार इस के खिलाफ इसी सेशन में कानून में संशोधन लाना चाहती है कापी राइट ऐक्ट और सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट में जिस से ज्यादा सजा दी जाय। इस की तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता, लेकिन दोनों कानूनों में हम तरमीम करना चाहते हैं और उस के लिए बिल इसी सेशन में लायेंगे। वीडियो पाइरेसी से बहुत नुकसान हो रहा है फिल्म इन्डस्ट्री को तथा अन्य बहुत सी चीजों को भी नुकसान हो रहा है और सरकार उस के बारे में स्वयं चिन्तित है। वीडियो पाइरेसी हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी यह बीमारी फैली हुई है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि राजीव गांधी जी के कहने से कुछ इन्स्ट्रक्शन्स दिये गए हैं। मैं उन को बताना चाहता हूं कि न उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और न हमने दिए, न अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस दिए और न हम दे सकते हैं। पता नहीं कहां से माननीय सदस्य ने बिलकुल मनगढ़ंत कहानी कह दी। मैं बहुत आदर के साथ उन को बताना चाहता हूं कि जहां तक इस के खिलाफ ऐक्शन लेने की बात है, ऐक्शन लिया जाय, और जो मौजूद कानून है, जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा है, आज के कानून में भी वीडियो फिल्म अगर कोई पब्लेलकली दिखाए तो उस के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती हैं सिनेमाटोग्राफ एक्ट में। इस में कार्यवाही करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। हमने राज्य सरकार को लिखा है, सूचना सचिवों की मीटिंग की है, मैंने स्वयं मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा, और खास कर के औवर्सीन पोस्टर्स के बारे में लिखा, सारी राज्य सरकारों को कहा गया। कुछ जगह राज्य सरकारों ने कार्यवाही की है, जिस का ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य से पूरा सहमत हूं और सरकार चिन्तित हैं कि अपनी बहुत सी चीजों को कायम रखने के लिए, मौरल और कल्चरल वैल्यूज को कायम रखने के लिए और फिल्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए। साथ ही जो देश के अच्छे गायक हैं, सौंग्स हैं तथा अन्य बहुत सी चीजों की पाइरेसी से बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और सरकार उस दिशा में कार्यवाही भी कर रही है। हमने फिल्म इंडस्ट्री को भी लिखा है कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेन्ज और रिवाइव करें। सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि सोशल और कल्चरल लाइफ पर औथेन्टिकेटड कैसेट्स मुल्क में बनाए जाएं, प्राइवेट लोग भी

बनाएं ताकि अगर कैसेट्स की लोगों को जरूरत है तो चोरी किए हुए की बाजाय जैनुइन कैसेट्स इस्तेमाल हो सकें।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष जी, देश में अभी तक वी० सी० आर० का निर्माण नहीं हो रहा है। अकेले दिल्ली में करीब 1 लाख से ज्यादा वी० सी० आर० हैं, दूसरे शहरों की मैं बात नहीं करता। जब आप के यहां वी० सी० आर० निर्माण नहीं होते विदेशों से जो इम्पोर्ट कराने की आप इजाजत देते हैं इस के चलते आप अवैध वीडियो कैसेट्स नहीं रोक पायेंगे, लोग चोरी छिपे उन को खरीदेंगे। दूसरे हमारे देश की इकनामी का सवाल है। हम अपनी विदेशी मुद्रा विलासिता की चीजों पर खर्च कर रहे हैं और उसका आयात कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भविष्य में जब तक देश में वी० सी० आर० का निर्माण नहीं होता है, क्या वह इस के इंपोर्ट पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री एच के एल भगत : पहला उन का कहना यह है कि दिल्ली में एक लाख वी० सी० आर० है। यह मुझे मालूम नहीं कि एक लाख हैं या नहीं, ना मैं इम्पोर्ट करता हूं और न मंगवाता हूं, ना मुझे इस के बारे में पता है। मेरे मंत्रालय का भी·····(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : इसकी तस्करी हो रही है और आप के पास रिपोर्ट नहीं है ?

श्री राजानाथ सोनकर शास्त्री : आप को यह नहीं मालूम है कि दिल्ली में कितने वी सी आर हैं ?

श्री एच के एल भगत : जितने ऐसे अवैध काम यहां हो रहे हैं, शायद आप को इस की ज्यादा बेहतर जानकारी हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि जहां तक वी सी आर के इम्पोर्ट करने का सवाल है, वह मेरा मंत्रालय इंफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग इस को डील नहीं करता है, दूसरी मिनिस्ट्री डील करती है। जो बात आपने कही है और ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह भी मैं कबूल नहीं करता कि सब कुछ हो रहा है। जो भावनायें आपने व्यक्त की है, आप उन्हें कंसर्न्ड मिनिस्टर से कह दें, आप चाहेंगे तो मैं भी कह दूंगा।

SHRI SUNIL MAITRA : What he says is that his Ministry is not concerned with VCRs. But his Ministry is very much concerned.

श्री जगपाल सिंह : वी सी आर के बारे में उन्होंने जवाब दिया है। इन का मंत्रालय कंसर्न्ड कैसे नहीं है ? इन के पास रिपोर्ट होनी चाहिए।

SHRI H K L BHAGAT : I am saying that the permission for importing VCRs is not given by my Ministry. There are different Ministries dealing with this.

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दिलाएंगे तो कैसे होगा ?

MR. SPEAKER : I understand him. You cannot argue with me. Mr. Jagpal Singh, you are unnecessarily saying these things to me.

श्री जगपाल सिंह : इन के मंत्रालय का सम्बन्ध वी सी आर से होना चाहिए या नहीं, इस पर कार्यवाही की जाए।

PROF. MADHU DANDAVATE : He is pleading his ignorance. It is his fundamental right.

MR. SPEAKER : Both Knowledge and ignorance are fundamental rights.

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं मानती हूं कि वीडियो पायरेसी आप रोक नहीं सकते क्योंकि बहुत जगह वीडियो गए हैं और जिस प्रकार की फिल्में उन पर दिखाई जाती हैं, उस पर जिस प्रकार की चिन्ता श्री जगपाल सिंह जी ने व्यक्त की है, मैं उस से सहमत हूं। अगर आप इस के बारे में कुछ नहीं कर सकते तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैग्जीन में और दूसरे एडवर्टाइजमेंट्स में इतने गंदे प्रकार से बहिनों का जो प्रदर्शन किया जाता है उस के बारे में आप क्या कर सकते हैं ? वह तो आपके हाथ में अधिकार है। कई मैग्जीन ऐसे हैं, उन का नाम मैं नहीं लेना चाहती, उन में खास पेजेज ऐसे होते हैं जिस में बहिनों के नंगे चित्र दिखाए जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : सूर्य मैग्जीन ?

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : सूर्य ही क्यों, इलस्ट्रेटेड वीकली में भी इस प्रकार के पिक्चर्स आते हैं।

मेरा कहना है कि आप इसे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पर ही मत छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बनाइए। जो चीजें पिक्चर में नहीं दिखाते हैं, लेकिन ऐसे गंदे पोस्टर बना कर लोगों के सामने रखे जाते हैं कि कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे मैग्जीन हैं जिस में लास्ट पेज पर बहिनों का नंगा चित्र रहता है। ऐसे मैग्जीन के खिलाफ कुछ कानूनी कार्यवाही करने के लिए क्या आप इन सारी चीजों पर कोई बिल लाने के लिए तैयार हैं ?

श्री एच के एल भगत : मैं ऑनरेबल मेम्बर की इस बात से सहमत हूं कि किसी मैग्जीन में किसी प्रकार की ऑबसीडिटी महिला के बारे में खासतौर से नहीं आनी चाहिए। जो बात उन्होंने कही है वह सही है। मैं भी उस के खिलाफ हूं। यह बात वह मेरे नोटिस में लाई थी, मैंने इस के बारे में उन को सलाह दी थी कि जो भी स्पैसेफिक बात हो, किसी मैग्जीन के बारे में कहना चाहती हों, वह कहें। उस के लिये आज के कानून में ऑबसीनिटी के बारे में इण्डियन पीनल कोड और दूसरे कानूनों में व्यवस्था है और उस को इंपलीमेंट करने की अथोरिटी है। उस का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। उन को कहना चाहिए।

MR. SPEAKER : She has said it.

श्री एच के एल भगत : वह कह रही हैं कि इस के बारे में कोई सेंट्रल कानून बनाना चाहती है या नहीं ? यह बात मैं अभी इस समय कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सारा मामला राज्य सरकारों से भी सम्बन्धित है। कल सवाल आ सकता है कि राज्य सरकारों के साथ सलाह की गई है। इसलिए जो सुझाव दिया है, मैं उस पर अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है और मंत्री जी यह बात कह कर नहीं बच सकते कि इतना हिस्सा दूसरी मिनिस्टरी का है। यह सामूहिक जिम्मेदारी है पूरी गवर्नमेंट की। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उन्हें जानकारी नहीं है। मैं यह जानकारी भी देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि वी डि ओ, वी सी आर यह सब सिंगापुर से यहां रोजाना लाए जा रहे हैं हवाई जहाजों से ? क्या इस बात की जानकारी है कि सिंगापुर से आते हैं, जापान के मैक के होते हैं और यहां बाजार में बिक जाते हैं। एक एक लड़का उस में दुगुना मुनाफा कमाता

हैं। ये सब लड़के आजकल यह धंधा कर रहे हैं। इस से हमारे देश की एकोनामी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ज्यादातर ये लड़के आप की ही शरण लेते हैं, आप की ही तरफ के होते हैं। क्या इस बात की जानकारी कर के या अगर जानकारी है तो क्या इस व्यापार को बन्द करायेंगे ? निश्चित सूचना मैं दे रहा हूं। हर लड़के को देख लीजिए, सिंगापुर जा रहा है, लौट कर एक वी डी ओ, वी सी आर ले कर आता है और दुगुने पैसे पर बेचता है। इस तरह से वह एक कमाई कर रहा है। इस से हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है तो क्या इस को आप बन्द कराएंगे ?

श्री एच के एल भगत : यह मैं मानता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी कलैक्टिव है। जो कुछ होगा उस का मैं बराबर जिम्मेदार हूं। सरकार के किसी भी शोबे के मामले में से बचने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं और न मैं बचना चाहता हूं। एक बात जो उन्होंने कही कि यह धंधा हो रहा है, यह मेरी जानकारी में नहीं हैं। आप जानकारी दे रहे है, उस के बारे में एक बात तो मैं सफाई से कहना चाहता हूं कि यह कहना कि हम करवा रहे हैं या हमारी तरफ से हो रहा है, यह बिलकुल गलत बात है। यह बिलकुल पोलिटीकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई इस तरह का गलत धन्धा नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर कोई स्पेसिफिक इंफार्मेशन उन के पास है तो ऐंटी स्मगलिंग आर्गेनाइजेशन को, मिनिस्ट्री आफ कामर्स को इत्तिला दीजिए, उनको लिखिए कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर आप के पास वाकफियत है, सोर्सिज हैं, नालेज है तो उन को खबर दीजिए, वह कार्यवाही करेंगे।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल सिंह कश्यप, नेक्स्ट क्वेश्चन।

.....(व्यवधान).....

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा 32 नम्बर का सवाल सेम है, दोनों को एक साथ कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको एतराज नहीं है और मंत्री जी को एतराज नहीं है तो जोड़ देते हैं। एनर्जी मिनिस्टर साहब बताएं, अगर उनको एतराज न हो तो दोनों को जोड़ दें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : Question No. 32 relates to acute shortage of power in the country ; and Q. No. 22 relates to setting up of power plants by NTPC. This is upto you.

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. SHIV SHANKAR) : We have got no objection if you decide to club them together.

श्री राम लाल राही : 32 से पहले 26 नंबर का सवाल आ जाता हैं।

अध्यक्ष महोदय : राही साहब, इसको बारात नहीं बनाया जा सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आप पीछे आने वाले सवाल जोड़ेंगे तो पहले आने वाले सारे सवाल रह जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप एतराज करते हैं तो रोक देते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, इनको तो जोड़ दीजिए।

बिजली की कमी को पूरा करने के लिए 500 मेगावाट के एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

*22. श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में बिजली की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से 500 मेगावाट की क्षमता के दस एकक स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इन एककों की स्थापना किन स्थानों पर की जायेगी तथा उन पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय होगी ;

(ग) क्या बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई अन्य ठोस कदम भी उठाये जायेंगे ताकि कृषकों को कम से कम 10 घंटे तक बिजली की सप्लाई की जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

Statement

National Thermal Power Corporation (NTPC) has been entrusted with the setting np of ten units of 500 MW each in the Central Sector. Details regarding the location and expenditure to be incurred on these projects are given in the Annexure. NTPC also proposes to set up 2×500 MW units in the expansion stage of Farakka Super Thermal Power Project and 2×500 MW units in the first stage of Talcher STPP.

In order to augment the availability of power measures have been taken to (a) increase generation from existing capacity, and (b) to expedite installation of additional capacity. As a result, power generation in April-June, 1984, increased by 15.7% as compared to the corresponding period of last year. A total generation of 154 billion units and addition of new generating capacity of 3899 MW has been programmed for 1984-85. A programme for renevation and modernisation of existing thermal units is also being taken up. This is expected to increase availability from various thermal stations. A multipronged programme of revetalising various power station, improving quality of coal supply ensuring adequate supplies of spares and upgradedtechnical skills is under implementation. Hydel projects are also being expedited That programme are expected to increase availability over time. With increased availability, power supply to the agricultural sector will also be improved on a priority basis.

Annexure

1.	Project Location.	Singrauli STPP	Korba STPP	Ramagundam STPP	Rihand STPP (Stage-I)
2.	Approved capacity (MW)	2000	2100	2100	1000
3.	No. of 500 MW units	2	3	3	2